तीसरे बच्चे के लिये मातृत्व लाभ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

[illegible]. [illegible], 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017** के तहत **एक महिला को उसके तीसरे बच्चे के लिये मातृत्व लाभ प्रदान किया और इसे एक संवैधानिक अधिकार कहा।**

- सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि **स्वास्थ्य, सम्मान, गोपनीयता और गैर-भेदभाव का अधिकार** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **जीवन के अधिकार** का अभिन्न अंग हैं।
  - इसमें इस तर्क पर ज़ोर दिया गया कि **प्रजनन अधिकार**, **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून** का हिस्सा हैं, जिनमें **स्वास्थ्य, समानता और सम्मान के अधिकार** भी शामिल हैं।
- **प्रजनन संबंधी विकल्पों का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)** के तहत संरक्षित है, जैसा कि ***[illegible], 2009*** में पुनः पुष्टि की गई है।
  - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961,** जिसे वर्ष 2017 में संशोधित किया गया, महिला कर्मचारियों को प्रसव से पहले और बाद में **सवेतन मातृत्व अवकाश** तथा **संबंधित लाभ प्रदान करता है।**
    - **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948** के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को भी मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **प्रयोज्यता: यह अधिनियम कारखानों, खदानों, बागानों, सरकारी प्रतिष्ठानों, दुकानों और 10 या अधिक कर्मचारियों वाले अन्य कार्यस्थलों पर लागू होता है।**
- **मातृत्व अवकाश: महिलाओं को दो बच्चों तक के लिये 26 सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश का अधिकार है** और **दो से अधिक बच्चों की स्थिति में 12 सप्ताह** का मातृत्व अवकाश मिलता है अर्थात् यह अधिनियम दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिये मातृत्व अवकाश पर प्रतिबंध नहीं लगाता; यह **केवल बच्चों की संख्या के आधार पर अवकाश की अवधि को सीमित करता है।**

Making It Easy For Mothers

The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 amends the Maternity Benefit Act, 1961 to provide the following

26 weeks maternity leave for the first two children

12 weeks maternity leave for children beyond the first two

12 weeks leave for mothers adopting a child below the age of three months

The Act makes it mandatory for employers in establishment with 30 women or 50 employees, whichever is less, to provide creche facilities either in office or in any place within 500–meters.

Working mothers will be permitted to make four visits during working hours to the creche

The employer may permit a woman to work from home if it is possible to do so

Every establishment will have to make these benefits available from the time of appointment

और पढ़ें: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/maternity-benefits-for-third-child